न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 142/2015 **दायर दिनांकः 02.11.2015**

उनवान

1. अंजनी शर्मा आयु 17 वर्ष
2. भुवनेश शर्मा आयु 16 वर्ष
3. सौरभ शर्मा आयु 13 वर्ष पुत्रगण प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण नाबालिग जरियेवली माता श्रीमति सावित्री शर्मा पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी. एन.लि. 220 के.वी.जी.एस.एस. कवाई सालपुरा हाल निवासी रिंकू शर्मा का मकान नान्ता क्रेशर के पास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. श्याम शर्मा पुत्र श्री छीतरलाल जाति ब्राहमण
2. प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री श्याम शर्मा जाति ब्राहमण निवासीगण दडा तहसील अटरू हाल एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एन.लि. 220 के.वी.जी.एस.एस. कवाई सालपुरा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 ,89, 90, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री सौमित्र सिंह।

निर्णय दिनांक 30/11/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल दडा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 154 खसरा नं0 75 की रकबा 2.45 है0, ख0नं0 76 की रकबा 0.08 है0, ख0नं0 380 की रकबा 0.05 है0 कुल तीन किता रकबा 2.58 है0 आराजी में वादीगण को हिस्से 1/8–1/8 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर निर्णय दिनांक 07.04.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से

विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2022/2619 दिनांक 19.10.2022 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादीगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2022 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल दडा तहसील अटरू में खाता संख्या 154 खसरा नं0 75 की रकबा 2.45 है0, ख0नं0 76 की रकबा 0.08 है0, ख0नं0 380 की रकबा 0.05 है0 कुल तीन किता रकबा 2.58 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता हैः—

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
1	दडा	ना.बा. भूवनेश पुत्र, ना.बा. सौरभ पुत्र, ना.बा. अंजनी पुत्री प्रहलाद जाति ब्राह्मण संरक्षक जर्ये वली माता सावित्री शर्मा	75 पश्चिम	0.96 है0	माल—2
2	दडा	श्याम पुत्र छीतरलाल जाति ब्राहमण	75 पूर्व 76 380	1.49 है0 0.08 है0 0.05 है0	माल—2 माल—2 गै.मु.आबादी

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 142/2015 **दायर दिनांकः 02.11.2015**

उनवान

1. अंजनी शर्मा आयु 17 वर्ष
2. भुवनेश शर्मा आयु 16 वर्ष
3. सौरभ शर्मा आयु 13 वर्ष पुत्रगण प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण नाबालिग जरियेवली माता श्रीमति सावित्री शर्मा पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एन.लि. 220 के.वी.जी.एस.एस. कवाई सालपुरा हाल निवासी रिंकू शर्मा का मकान नान्ता क्रेशर के पास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. श्याम शर्मा पुत्र श्री छीतरलाल जाति ब्राहमण
2. प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री श्याम शर्मा जाति ब्राहमण निवासीगण दडा तहसील अटरू हाल एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी. पी.एन.लि. 220 के.वी.जी.एस.एस. कवाई सालपुरा।
3. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 ,89, 90, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगणः–विद्वान अभिभाषक श्री सौमित्र सिंह।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल दडा तहसील अटरू में खाता संख्या 154 खसरा नं0 75 की रकबा 2.45 है0, ख0नं0 76 की रकबा 0.08 है0, ख0नं0 380 की रकबा 0.05 है0 कुल तीन किता रकबा 2.58 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

क्र.स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा	किस्म
1	दडा	ना.बा. भूवनेश पुत्र, ना.बा. सौरभ पुत्र, ना.बा. अंजनी पुत्री प्रहलाद जाति ब्राहमण संरक्षक जर्ये वली माता सावित्री शर्मा	75 पश्चिम	0.96 है0	माल–2
2	दडा	श्याम पुत्र छीतरलाल जाति ब्राहमण	75 पूर्व 76 380	1.49 है0 0.08 है0 0.05 है0	माल–2 माल–2 गै.मु.आबादी

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.11.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)